

राजस्थान सरकार
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग


क्रमांक प.1(1)चिस्वा/2/2018

जयपुर, दिनांक : 27.11.2018

आदेश


विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 27.06.2018 के क्रम संख्या 12 के द्वारा डा. बालमुकन्द, कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई. एन. टी.) का आरबीएम अस्पताल, भरतपुर से राजीव गांधी जिला अस्पताल, अलवर में स्थानान्तरण किया गया था, में आंशिक संशोधन करते हुए डा. बालमुकन्द के पद के कॉलम में कनिष्ठ विशेषज्ञ (ई.एन.टी.) के स्थान पर चिकित्सा अधिकारी संशोधित कर पढा जावे।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(पारस चन्द जैन)
शासन उप सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1- विशिष्ट सचिव, मा. चिकित्सा मंत्री महोदय/मा. राज्यमंत्री महोदय।
- 2- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
- 3- निदेशक (जन स्वास्थ्य), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राज. जयपुर।
- 4- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन जयपुर
- 5- प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजीव गांधी जिला अस्पताल, अलवर
- 6- संबंधित अधिकारी
- 7- कम्प्यूटर सेल
- 8- निजी /रक्षित पत्रावली


(ओ. पी. वर्मा)
शासन सहायक सचिव